-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 21.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन व मिशन शक्ति 5.0 के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष 2010 में थाना पैलानी क्षेत्र में हत्या के मामले में आरोपी पति, व सास को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन सश्रम कारावास व 07-07 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" व मिशन शक्ति 5.0 के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2010 में थाना पैलानी क्षेत्र अन्तर्गत हत्या के मामले में आरोपी पति व सास को सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि जनपद पैलानी क्षेत्र के रहने वाले मलखान पुत्र श्रीपाल ने दिनांक 22.03.2010 को थाना पैलानी पर सूचना दी कि उनकी पुत्री को उसके ससुराल वालों नें प्रताड़ित कर दिनांक 20.03.2010 को जान से मार दिया। इस सम्बन्ध में थाना पैलानी में मु0अ0सं0 44/10 संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना नि0 श्री दिनेश कुमार द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री सुशील कुमार तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी देवेन्द्र सिंह तथा पैरोकार आरक्षी प्रांजुल के अथक प्रयासों से अभियुक्तों को मा0 न्यायालय ADJ-I बांदा द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व कुल 14 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. रामसिंह पुत्र रामखेलावन निवासी पैलानी डेरा थाना पैलानी जनपद बांदा।
2. सियादुलारी पत्नी रामखेलावन निवासी पैलानी डेरा थाना पैलानी जनपद बांदा।